



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.139(61)CMIS / विधि / पंरा / 2020 / 3733

दिनांक : 11.6.2020

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद्, समस्त।

विषय :- आबादी भूमि पर से अतिक्रमण हटाने बाबत।

मुख्यमंत्री सूचना तंत्र पर पंचायती राज विभाग के अंकित जन घोषणा पत्र में बिन्दु संख्या 27.8.04 "अतिक्रमियों पर शिकंजा कसा जायेगा एवं जमीनों के मामलों में धोखाधड़ी रोकने के लिए सम्बन्धित अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं हाउसिंग सोसाइटियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जायेगी।" की पालना सुनिश्चित की जानी है।

इस संदर्भ में लेख है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम-165 के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार कार्यवाही करें।

(मगनलाल योगी)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव(प्रथम)

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0 राज, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज, जयपुर।
- ✓ 4. ए0सी0पी0 मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने हेतु।

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव(प्रथम)